संख्या-138/2021/3192/26-3-2021

प्रेषक,

राकेश कुमर सचान
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 30 नवम्बर 2021

विषयः- **रिट याचिका संख्या-20537/ 2020 रविकांत द्विवेदी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक-17.09.2021 के अनुपालन के सम्बन्ध में छात्रवृत्ति की धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1787/स0क0/शिक्षा-अ/7/64/कोर्टकेस/2021-22, दिनांक-07.10.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से रिट याचिका संख्या-20537/2020 रविकांत द्विवेदी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक-17.09.2021 के अनुपालन में याची छात्र को धनराशि रू0-45000/- तथा विभागीय उत्तरदायित्व के रूप में रू0-2000/- कुल धनराशि रू0-47000/- के भुगतान की अनुमति चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-80 से प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका संख्या-20537/2020 रविकांत द्विवेदी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक-17.09.2021 के अनुपालन के सम्बन्ध में याची छात्र को धनराशि रू0-45000/- तथा विभागीय उत्तरदायित्व के रूप में रू0-2000/- **कुल धनराशि रू0-47000/- (रूपये-सैतालीस हजार मात्र)** के भुगतान की अनुमति चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-80 में प्राविधानित धनराशि, जिसकी स्वीकृति पूर्व से निर्गत कर आपके निवर्तन पर रखी जा चुकी है, से व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

राकेश कुमार सचान
उप सचिव।

पृ.संख्या-138/2021/3192 (1)/26-3-2021 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0, प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in